निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 41/2024
दायरा दिनांकः—19.06.2024
निर्णय दिनांकः— 30.9.24

उनवान

1 रामस्वरूप पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण
2. गोपाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण
3. बनवारी पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण
4. सुरेन्द्र पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण
5. हरिओम पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण
6. गुड्डी बाई पुत्री रामनारायण जाति ब्राहम्ण
7. सुगना बाई पत्नि स्व0 रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासीगण बमोरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. चन्द्रमोहन पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बमोरा हाल निवासी छबडा
2. रामदयाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बमोरा हाल निवासी छबडा
3. कैलाश पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बमोरा हाल निवासी छबडा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा
5. राजस्थान सरकार जर्ये सब रजिस्टार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 30.9.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश सोनी — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 320 व 663 प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रेवेन्यु रेकार्ड थी जिसका बंटवारा न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार किया गया अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के आधार पर खाता विभाजन किया गया है। खसरा नम्बर 320 का विभाजन कर खसरा नम्बर 320 प्रार्थीगण खसरा नम्बर 320/1 अप्रार्थी कम 1 चन्द्रमोहन व 320/5 चन्द्रमोहन 320/2 प्रार्थी रामस्वरूप 320/3 अप्रार्थी क्रम 3 कैलाश व 320/4 अप्रार्थी क्रम 2 रामदयाल के नाम दर्ज की गई इसी प्रकार खसरा नम्बर 663 का विभाजन कर 663 प्रार्थीगण 663/1 व 663/5 अप्रार्थी क्रम 1 चन्द्रमोहन के 663/2, प्रार्थी रामस्वरूप के 663/3 अप्रार्थी क्रम 3 कैलाश के व 663/4 अप्रार्थी क्रम 2 रामदयाल के नाम नाम दर्ज की गई। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 320 की भूमि में दो ट्यूबवैल लगा रखे है जो खसरा नम्बर 320 की भूमि में 663/3 के कोने पर दुसरा 663/5 के कोने पर लगे हुऐ है हल्का पटवारी ने बिना मौका देखे नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 320 व 663 की भी बिना मौका देखे नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 320 व 663 की गलत तरमीम कर दी है खसरा नम्बर 320 की तरमीम से भूमि रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

के रूप में हो गई है तथा खसरा नम्बर 663 की मन मर्जी के आधार पर तरमीम कर दी है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण के अपनी मन मर्जी के आधार पर तरमीम कराकर प्रोपर्टी डीलर से भूमि को बेचान करने की भी बात चीत कर ली है जो गलत तरमीम के आधार पर भूमियात खरीदने को आमादा है जो कभी भी विक्रय पत्र का पंजियन करा सकते है और प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने को आमादा हो सकते है। इस बावत् प्रार्थीगण अप्रार्थीगण व प्रोपर्टी डीलरो को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। यह कि वास्तविक रूप से प्रार्थीगण की भूमियात खसरा नम्बर 320 के नीचे की और खसरा नम्बर 663 की भूमि से लगवा पूर्व से पश्चिम तक स्थित है जिसमे दो ट्यूबवेल प्रार्थीगण के लगे हुए है इसके बाद सम्पतबाई की भूमि जिसका हकत्याग रामस्वरूप के पक्ष में किया है कि भूमि स्थित है जो खसरा नम्बर 320 व 320/2 है इसके बाद रूकमणी का हकत्याग चन्द्रमोहन के पक्ष में हुआ है कि भूमि खसरा नम्बर 320/5 व इसके बाद चन्द्रमोहन की भूमि 320/1 इसके बाद रामदयाल की भूमि खसरा नम्बर 320/4 व इसके बाद कैलाश की भूमि खसरा नम्बर 320/3 स्थित है इसी प्रकार पश्चिमी तरफ से खसरा नम्बर 663/4 रामदयाल की फिर खसरा नम्बर 663 प्रार्थीगण की इसकी बाद 663/2 वादी रामस्वरूप की इसके बाद खसरा नम्बर 663/3 कैलाश की इसके बाद खसरा नम्बर 663/1 चन्द्रमोहन की इसके बाद खसरा नम्बर 663/5 चन्दमोहन की भूमि स्थित है जिसका नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का आवश्यक अंग है। इसी आधार पर नक्शा दुरूस्त होना है इसी अनुरूप पक्षकारान अपनी अपनी भूमियात पर काविज काश्त है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 320 की भूमि के लिए 15 फुट चौड़ा रास्ता देने को सहमत है जिसे सभी खातेदारान की भूमियात मे से समायोजित किया जावे। यदि अप्रार्थीगण ने गलत नक्शा तरमीम के आधार पर भूमियात का बेचान कर दिया तो मौके पर भारी विवाद पैदा हो सकता है कोई भी अप्रिय घटना कारित हो सकती है। प्राईमाफेसाई केस एंव सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे विधमान है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को भूमियात की मौका स्थिति यथावत रखने व रहन बेचान ना करने हेतु रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखवाने के अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बमोरा नकल नक्शा आनलाईन ग्राम बमोरा नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 231 नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 311 नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 310 नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 313 नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 312 पेश किया गया। नकल आदेश भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा दिनांक 11.07.2007 नकल आदेश राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर दिनांक 28.08.2019 नकल रिज्यू अपील 3037/24 एवं शपथ पत्र रामस्वरूप राकेश, नन्दकिशोर, हेमराज,रामगोपाल पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से नकल अन्तिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 नकल आदेश दिनांक 08.07.2020 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्रामक बमोरा में स्थित है खसरा नम्बर 320 व 663 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज थी। जिसका बटवारा न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर किया गया। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 320 की भूमि में दो ट्यूबवैल लगा रखे है जो खसरा नम्बर 320 की भूमि में खसरा नम्बर 663/3 के कोने पर दुसरा खसरा नम्बर 663/5 के कोने पर लगे हुए है पटवारी द्वारा बिना मौका देखे खसरा नम्बर 320 व 663 की भूमि को बटवारा खातेदारान के मध्य कर दिया गया। तथा तरमीम कर दी गई। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने के अधिकारी है अप्रार्थीगण ने अपनी मर्जी के मुताबिक तरमीम कराकर प्रोपर्टी डीलर से भूमि को बेचान कर दिया गया है जिसका विक्रय पत्र पंजीयन कराना है अप्रार्थीगण प्राथीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है माननीय न्यायालय से विवादित भूमि का बटवारा करने का आदेश हुआ जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी कोटा के यहां की गई। माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमान के न्यायालय का आदेश व डिक्री अपास्त की गई जिसकी अपील अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई माननीय न्यायालय द्वारा भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय अपास्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा का निर्णय बहाल रख गया। माननीय न्यायालय के आदेश की रिव्यू अपील माननीय न्यायालय मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि का रहन बेचान नही करे। रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी का विभाजन के बाद निर्णय व अन्तिम डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर भूमि की स्थिति एवं कब्जे के अनुसार सभी खातेदारान की उपस्थिति में सभी की सहमति से नक्शे में तरमीम किया गया है खसरा नम्बर 663 के दक्षिण मे मैन रोड होने के कारण सभी खातेदारान रोड से अपनी–अपनी भूमि पर जा सके इसको ध्यान में रखतें हुए नक्शें में तरमीम किया गया है प्रार्थीगण के मन में बदनियति आ जाने के कारण वे खसरा नम्बर 320 की दक्षिणी दिशा की भूमि जो रोड की ओर उसे लेना चाहतें है जो किसी भी तरह न्यायोचित नही है एक ट्यूबवैल प्रार्थीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 320 में है तथा दुसरा अप्रार्थीगण के हिस्से में 320/1, 320/5 में है निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तरमीम की गई है माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी छबडा का निर्णय यथावत रखा गया है प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की रिव्यू कर रखी है। प्रार्थीगण के द्वारा पुनः न्यायालय में गलत तथ्य पेश कर वाद पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश जारी करवाया गया है। यह उचित नही है प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगन आदेश लेना चाहियें था। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 231 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बमोरा के अनुसार खसरा नम्बर 320 व खसरा नम्बर 663 का पक्षकारान के मध्य विभाजन (तरमीम) होना पाया जाता है निर्णय दिनांक 08.07.2020 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का पृथक–पृथक विभाजन किया गया जिसकी अनुपालना की जाकर नक्शे में तरमीम की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय भू.प्रबन्ध

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी छबडा का निर्णय व डिक्री अपास्त किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर RAA कोटा का निर्णय अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी छबडा का निर्णय बहाल रख गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू माननीय न्यायालय में पेश की गई जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है प्रार्थीगण की रिव्यू माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रार्थी द्वारा नया स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो न्यायसंगत नहीं है एवं अनुचित है। प्रार्थी द्वारा सभी तथ्यों को बिना बताए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्याय निर्णयन के लिए उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा